

कायालय प्राचाय, शासकाय स्नातकात्तर महाावाहालय आलायाजपुर (म० प्र०)

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 21.12.2009


अधिकारी/कर्मचारी का (पुर) नाम डॉ० रामेश्वर नाथ वर्तमान धारित पद स्नातकोत्तर प्राचार्य
 वर्तमान वेतन 18300/- वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2010

उस जिले, उप समाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे		युग्मि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया। खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्यारे	संपत्ति की वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन							
1. जिला उज्जैन तहसील उज्जैन नगर उज्जैन	2. ① 355, सेक्टर 30X501 अखंड इ पर आवासीय भूमांन ② 93/1, सिम्ह मार पर 206 वर्ग फीट का भूखंड भूमांन / इकाई 125 रु शर्तः भूमांन	3. —	4. रु. 10 लाख (लाभाभा) रु. 12 लाख (लाभाभा) रु. 5.0 लाख	5. स्वयं के नाम से खरीद प्रती श्रमिती शारदाबाई के नाम से श्री शक्तिराज नाथ धरिया	6. वेतन बचत से बैंक स्टेशन बचत से रु. 10 लाख से मिली की नकदी	7. स्वयं को धरियार करमा है। रु. 12000/- आय आयाम	8. रु. 1980 से 3000 तक रु. 4635/- से रु. 5000 तक तक करमा है।	
2. जिला शाजापुर तहसील शाजापुर नगर शाजापुर	13 बीघा भूमि		रु. 5.0 लाख					

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी- म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अवहित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यारे दें।

हस्ताक्षर  6.5.10
 नाम डॉ० रामेश्वर नाथ
 पद प्राचार्य
 विभाग उच्चशिक्षा विभाग, म.प्र. शासन